

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बनियाला

अनुवान बुध राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 214/2025

निर्णय दिनांक 30/6/25

बुध राम पुत्र पत राम जाति जाट निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू

बनाम

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अप्रार्थी


—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बनियाला में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 15 खसरा नं. 1309/482 तादादी 5.0074 हैक्ट., खसरा नं. 131/490 तादादी 0.8346 हैक्ट., खसरा नं. 286 तादादी 17.0455 हैक्ट., खसरा नं. 523 तादादी 3.6165 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम बनियाला में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम बुधराम पुत्र पतराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम बुध राम पुत्र पत राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम बुध राम पुत्र पत राम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम बनियाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 15 खसरा नं. 1309/482 तादादी 5.0074 हैक्ट., खसरा नं. 131/490 तादादी 0.8346 हैक्ट., खसरा नं. 286 तादादी 17.0455 हैक्ट., खसरा नं. 523 तादादी 3.6165 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम बुधराम पुत्र पतराम Delete कर इसके स्थान पर बुध राम पुत्र पत राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/25 को कैम्प कोर्ट बनियाला में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)